

ग्र/पुनर्वा०/रीवा/ २०१८/७१५।३

66

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्रालियर लिंक कोर्ट रीवा मध्य



- 1— सहसमाण तिवारी तनय स्व. रामकृपाल तिवारी उम्र 51 वर्ष
- 2— प्रदीप कुमार तिवारी तनय स्व. रामकृपाल तिवारी उम्र 42 वर्ष
- 3— इन्द्रपति प्रसाद तिवारी तनय स्व. श्री रामकृपाल तिवारी उम्र 39 वर्ष
- 4— ज्ञानेन्द्र कुमार तनय स्व. श्री सुमेश्वर राम तिवारी उम्र लगभग 45 वर्ष
- 5— मुस. चन्द्रकली बेवा पत्नी स्व. श्री सुमेश्वर राम तिवारी

अधिकारी बृजेन्द्र सिंह सभी निवासी ग्राम शाहपुर थाना व तह. नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र.

दारा पेशा | ०१-०३-१८

.....आवेदकगण

बनाम्

- 1— अमरनाथ तिवारी तनय रामकिशोर तिवारी उम्र 61 वर्ष
- 2— श्यामसुन्दर तिवारी तनय रामप्रसाद तिवारी उम्र 76 वर्ष
- 3— राजकिशोर तिवारी तनय रामप्रसाद तिवारी उम्र 74 वर्ष
- 4— हर्षनारायण तिवारी तनय रामप्रसाद तिवारी उम्र 70 वर्ष
- 5— सूर्यमणि तिवारी तनय श्यामकिशोर तिवारी उम्र 53 वर्ष
- 6— इन्द्रमणि तिवारी तनय श्यामकिशोर तिवारी उम्र 45 वर्ष

सभी निवासी ग्राम शाहपुर तह. नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र.

.....अनावेदकगण

पुनर्विलोकन बाबत् माननीय न्यायालय द्वारा
निगरानी प्र.क. II/निग/रीवा/भू.रा.
/2017/4652 में पारित आदेश दिनांक
22.12.2017 को पुनर्विलोकन में लिया
जाकर निरस्त किए जाने।

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं.
1959 ई.

मान्यवर,

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं—

(67)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

II / पुर्नविलोकन / रीवा / 2018 / 1513

सहसमणि तिवारी

विरुद्ध

अमरनाथ तिवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा II / निग 0 / भ०रा० / रीवा / 2017 / 4652 में पारित आदेश दिनांक 22-12-2017 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :—</p> <p>1— नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।</p> <p>2— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।</p> <p>3— कोई अन्य पर्याप्त कारण।</p> <p>आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्ताकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है। आवेदक सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य 20/6/18</p> 